पत्रांकः- A.P-02, 42/2025-.....

बिहार सरकार,

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई0 सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः-.....2026

विषयः- **Centre of Excellence in Disaster Management (CoEDM), विकास प्रबंधन संस्थान (DMI), पटना के द्वारा "Earthquake Resistant Construction of Critical Infrastructure" विषय पर दिनांक- 06.10.2026 से 09.10.2026 तक आयोजित चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से विमुक्त करने के संबंध में।**

प्रसंगः-
1. विभागीय पत्रांक-9169(भ) दिनांक- 25.09.2026
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा का पत्रांक- 1753 दिनांक- 30.09.2026
3. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी का पत्रांक- 2021 दिनांक- 01.10.2026
4. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका का ज्ञापांक- 1524 दिनांक-05.10.2026
5. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर का पत्रांक-4156 (अनु0) दिनांक- 03.10.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि Centre of Excellence in Disaster Management (CoEDM), विकास प्रबंधन संस्थान (DMI), पटना के द्वारा "Earthquake Resistant Construction of Critical Infrastructure" विषय पर दिनांक- 06.10.2026 से 09.10.2026 तक आयोजित चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से निम्नलिखित अभियंताओं को विमुक्त किया जाता है, जो निम्नवत् हैः-

S. No.	Name	Designation
1.	आशीष कुमार	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बाँका।
2.	राजीव कुमार	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर।
3.	प्रवीण कुमार	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, भवन प्रमंडल, छपरा।
4.	रजनीश कुमार	प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, मधुबनी।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक:-.....2026

प्रतिलिपि:- संबंधित अभियंताओं को सूचनार्थ प्रेषित।/निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-9622 (7) पटना, दिनांक:-9/10/2026

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.10.26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।